श्री राजेश कुमार, भा.प्र.से. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2025 को किशनगंज समाहरणालय सभागार में किये गये सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् किशनगंज जिला के महानंदा सभागार में एजेंडा के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उपस्थितिः- पंजी के अनुसार ।-

1. Border Security, भारत-नेपाल सीमा पर पेट्रॉलिंग, वाहन जाँच, BSF/SSB से समन्वय एवं लंबित मामलों/पत्रों का निष्पादन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक में SSB के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दिघलबैंक अंतर्गत जमीन का म्यूटेशन का मामला अंचल अधिकारी, दिघलबैंक के पास लंबित है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, दिघलबैंक तथा अपर समाहर्त्ता, किशनगंज को तीन सप्ताह के अंदर लंबित म्यूटेशन के मामले को निष्पादित करने का निदेश दिया गया। BSF के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ठाकुरगंज अंचल में जमीन के अतिक्रमण का मामला है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज को निदेश दिया गया कि BSF के कार्यालय में कार्यरत Inspector श्री राजेश कुमार से सम्पर्क कर कार्य का निष्पादन करेंगे।

2. किशनगंज जिला के Civil Defence Volunteer का सूची तैयार करने का निदेश दिया गया। चयनित वॉलंटियर्स का सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाय तथा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के लिए अलग-अलग संगठनों के साथ बैठक कर प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करने का दिशा-निर्देश दिया गया। सायरन क्रय करने के संबंध में जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि क्रय की कार्रवाई DDO, पूर्णिया द्वारा किया जायेगा। किन्तु समीक्षा में यह पाया गया कि सायरन का Specification एवं संख्या का निर्धारण जिला पदाधिकारी के स्तर से नहीं किया गया है। अतः जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से सायरन का Specification एवं संख्या निर्धारित करते हुए DDO, पूर्णिया को अधियाचना भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना सिविल डिफेंस मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेंगे। Satellite Phone के बारे में बताया गया कि सिविल डिफेंस के पास 4 Satellite Phone उपलब्ध है, जो कार्यरत स्थिति में है। इसके उचित उपयोग हेतु जिला/पुलिस प्रशासन के वरीय स्तर पर आवंटित करने का आवश्यक निदेश दिया गया।

3. महिला संवाद के संबंध में बताया गया कि जिलान्तर्गत कुल 1262 संवाद होना है, जिसमें 450 जगहों पर संवाद कार्यक्रम किया जा चुका है। शेष जगहों पर 19 जून तक संवाद कार्यक्रम पूरा कर लिया जायेगा। इस संबंध में निदेशित किया गया कि महिला संवाद के तहत प्राप्त सुझावों एवं आकांक्षाओं से संबंधित सूची तैयार कर समर्पित किया जाय। डॉ0 अम्बेदकर समग्र सेवा अभियान की समीक्षा की गयी। यह पाया गया कि कुल 1204 टोला में आयोजन किया जाना है। जिसमें प्राप्त आवेदनों पर समुचित रूप से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

उच्च स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि महिला संवाद तथा डॉ0 अम्बेदकर समग्र सेवा अभियान शिविर प्रभारी तथा पंचायत कर्मी की उपस्थिति शत-प्रतिशत नहीं है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी को आवश्यक जाँच पड़ताल करने का निदेश दिया गया।

4. अभियान बसेरा-2 में प्रगती की समीक्षा की गयी। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अभी भी अंचल अधिकारी के स्तर से आवश्यक गंभीरता का अभाव है। कतिपय अंचल अधिकारी अभियान बसेरा-2 के संबंध लक्ष्य के विरूद्ध आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके। पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में अंचल

अधिकारियों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया था। किन्तु यह पाया गया कि इस संबंध में अभी तक यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी है। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता को सभी अंचल अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर प्रमात्र पत्र 15 दिनों के अंदर प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

5. पुलिस विभागः- PD Cases, BW / DW Cases में तेजी लाने का निदेश दिया गया। SC/ST के मामलों में ससमय Charge Sheet दाखिल किया जाय। आर्म्स एक्ट के आवेदनों के निष्पादन में देरी न किया जाय। Security Proceeding के तहत सभी थाना के स्तर पर वर्तमान सुरक्षा माहौल में Trouble Makers को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज को निदेश दिया जाता है कि पूर्व में निर्गत किये गये जितने बंध पत्रों में उल्लंघन हुये है उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। बॉर्डर क्षेत्र एवं संवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे दिवा गश्ती तथा रात्रि गश्ती सुनिश्चित करायी जाय। यह बताया गया कि किशनगंज जिला का पश्चिम बंगाल के साथ आवागमन सड़क पर तीन बॉर्डर प्वाइंट है। वर्तमान सुरक्षा दृष्टिकोण से सभी बॉर्डर प्वाइंट पर 24x 7 Surveillance टीम का प्रतिनियुक्ति करते हुए सधन जाँच अभियान का निदेश दिया गया। Surveillance टीम में 8 - 8 घंटे की पाली में Magistrate एवं पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया जाय।

साम्प्रदायिक मामलों के संबंध में बताया गया कि पूर्व के सभी कांडों में Charge Sheet दायर कर दिया गया है। कोइ भी अभियोजन का मामला लंबित नहीं है। किशनगंज जिला साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील रहा है। संवेदनशील जगह जिला मुख्यालय से काफी दूर है। अतः संवेदनशील स्थानों विशेषकर मंदिर, मस्जिद आदि की सूची तैयार कर Surveillance की व्यवस्था की जाय। स्थानीय स्तर पर चौकीदार को आवश्यक निगरानी करने का निदेश दिया गया। धार्मिक स्थल के समक्ष आपत्तिजनक सामग्रियों को फेकने तथा साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास इस क्षेत्र में पूर्व से रहा है। अतः इस पर पूरी निगरानी रखने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से समीक्षा कर पूरी निगरानी रखेंगे।

साथ ही Social Media Monitoring के संबंध में बताया गया कि पुलिस कार्यालय स्तर पर Social Media Monitoring की जा रही है। इस संबंध में IT Manager को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन सुबह एवं शाम को जाकर आवश्यक Monitoring कर लेंगे ताकि किसी प्रकार की तकनीकि समस्या होने पर तुरंत समाधान किया जा सके।

6. अग्निशमन की तैयारी के संबंध में बताया गया कि किशनगंज जिला में 14 अग्निशमन वाहन है, जिसमें मुख्यालय में 3 तथा विभिन्न थानों में 11 वाहन अग्नि कांड के बचाव हेतु रखे गये हैं। अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि नये भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग से कराया गया है, उसमें एक समरसेवल बोरिंग किया गया है। भवन हेंड ऑवर नहीं होने के कारण समरसेवल के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाय।

7. **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :-** सैरात बंदोबस्ती, परिमार्जन प्लस, जमाबंदी का आधार लिंकिंग, सरकारी जमीन की जमाबंदी, 0-5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लंबित मामले, भू-अर्जन के लंबित मामले तथा न्यायालय में पुराने वादों के निष्पादन के संबंध में बैठक में समीक्षा की गयी। कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वासन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में अंचल अधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

8. **पंचायत सरकार भवन :-** किशनगंज जिलान्तर्गत कुल 125 पंचायत सरकार भवन में से 32 बना हुआ है। शेष 88 में से LEAO के द्वारा 47 तथा BCD द्वारा 39 का निर्माण किया जाना है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि एक मामला झिलझिली, बहादुरगंज का अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में

लंबित रहने तथा दूसरा दल्लेगाँव, ठाकुरगंज में रास्ता नहीं रहने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इस संबंध में लंबित मामले का निष्पादन कराते हुए कार्य प्रारंभ करने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया।

9. नगर निकाय के कार्यालय भवन, बस स्टैंड तथा कचरा निस्तारण की समीक्षा की गयी। इस संबंध में बताया गया कि शहर का कचरा निस्तार इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाने के बाद वहाँ से हटाकर बहादुरगंज अंचल में किया जा रहा है।

10. मंडल कारा में कैदी क्षमता, बैरक की स्थिति, रसोई तथा अन्य में संबंध में चर्चा की गयी। जेलर के द्वारा बताया गया कि आज कि तिथि में कुल 456 कैदी हैं, जो 32 वार्डो में आवासित है। वर्तमान परिपेक्ष्य को देखते हुए जेलर को निदेश दिया गया कि जेल के अंदर की गतिविधियों पर विशेष रूप से सतर्क रहा जाय। बैठक में जेल अधीक्षक अनुपस्थित पाये गये। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, किशनगंज को निदेश दिया गया कि उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए विभाग को सूचित किया जाय।

11. समाहरणालय स्थित कार्यालय का साफ-सफाई तथा रंग रोगन का निरीक्षण किया गया जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। उपस्थित सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, किशनगंज को निदेश दिया गया की कार्यालय भवन का भीतरी तथा बाहरी दिवारों का रंग रोगन का कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

12. पशु चिकित्सा केन्द्र, लौचा हेतु जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई जल्द पूरी करने का निदेश दिया गया।

13. जिला स्तरीय कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय तथा नगर निकाय के कार्यालय का निरीक्षण वरीय पदधिकारी के माध्यम से समय-समय पर कराने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया।

14. बैठक के अंत में जिला परिषद अध्यक्ष तथा नगर निकाय के सभापित के साथ सिविल डिफेंस तथा वर्तमान हालात के मद्देनजर आवश्यक सहयोग तथा आपसी समन्वय स्थापित करने का अनुरोध किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक 2723/दिनांक 13-05-2025

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, राजस्व/अपर समाहर्त्ता, PGRO को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- समादेष्टा, BSF/SSB को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सिविल डिफेंस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/समादेष्टा, अग्निशमन, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- किशनगंज जिलान्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Raje k.
13/5/2025.
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया